उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज अनुभाग-3

संख्या-10/2021/300/33-3-2021-212/2021

लखनऊ: दिनांक: 09 फरवरी, 2021

अधिसूचना संख्या-212/33-3-2021-212/2021 दिनांक 09 फरवरी, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज **(**स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन**) (**ग्यारहवां संशोधन**)** नियमावली**,** 2021 (हिन्दी रूपान्तर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

5. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।

6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की (हिन्दी/अंग्रेजी) की 02 प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर नियमावली की 1000 प्रतियॉ पंचायती राज अनुभाग-3 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10. कम्प्यूटर सहायक को इस आशय से कि इसे शासनादेश की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan

Panchayati Raj Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no-212/ 33-3-2021-212/2021, dated *February 09, 2021*

NOTIFICATION

No. 212 / 33-3-2021-212/2021

Lucknow Dated, February 09 , 2021

In exercise of the powers under section 110 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (U.P. Act no .26 of 1947) read with sub-section (5) of section 11-A and clause (a) and clause (c) of sub-section (5) of section 12 of the said Act, and section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Reservation and Allotment of Seats and Offices) Rules 1994:-

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ (RESERVATION AND ALLOTMENT OF SEATS AND OFFICES) (ELEVENTH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1 (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Reservation and Allotment of Seats and Offices)(Eleventh Amendment) Rules, 2021

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazatte.

Amendment of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Panchayat Raj ((Reservation and Allotment of Seats and Offices) Rules, 1994, hereinafter referred to as said rules, in rule 4, -

(a) in sub-rule (4), for the second proviso set out in column -1 below, the proviso, as set out in column-2, shall be substituted, namely :-

COLUMN-1 Existing proviso	COLUMN-2 Proviso as hereby substituted
Provided further that whenever there is General delimitation of territorial constituencies of Gram Panchayats in the State on the basis of General modification in areas of 'Panchayat areas' of Gram Panchayats in the State or otherwise, before a General election of the members of Gram Panchayats, then the allotment of number of seats as provided in rule 3 shall be made afresh to different territorial constituencies without taking into consideration their status of allotment in previous elections.	Omitted

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(b) in sub-rule (6) for the proviso set out in column -1 below, the proviso, as set out in column - 2, shall be substituted, namely :-

COLUMN-1 Existing proviso	COLUMN-2 Proviso as hereby substituted
Provided that whenever there is General delimitation of territorial constituencies of Gram Panchayats in the State on the basis of General modification in areas of 'Panchayat areas' of Gram Panchayats in the State or otherwise, before a General election of the members of Gram Panchayats, then the allotment of number of territorial constituencies reserved for women shall be made afresh without taking into consideration their status of allotment in previous elections.	Omitted

Amendment of rule-5

3- In the said rules in rule 5,-(a) in sub-rule (2) for the proviso set out in column-1 below, the proviso, as set out in column -2,shall be substituted, namely:-

COLUMN-1 Existing proviso	COLUMN-2 Proviso as hereby substituted
Provided further that whenever there is General modification in areas of 'Panchayat areas' of Gram Panchayats in the State, on the basis of change in population of 'Panchayat areas' or otherwise, before a General election for the offices of Pradhans, then the allotment of number of offices of Pradhans for the Scheduled Tribes, the Scheduled Castes and the Backward Classes, as determined in sub-rule (1), shall be made afresh to different Gram Panchayats in the Khand without taking into consideration their status of allotment in previous elections.	Omitted

(b) in sub-rule (4) for the proviso set out in column-1 below, the proviso, as set out in column -2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1 Existing sub-rule	COLUMN-2 Sub-rule as hereby substituted
Provided further that whenever there is General modification in areas of 'Panchayat areas' of Gram Panchayats in the State, on the basis of change in population of 'Panchayat areas' or otherwise, before a General election for the offices of Pradhans, then the allotment of number of offices of Pradhans reserved for women shall be made afresh without taking into consideration their status of allotment in previous elections.	Omitted

By Order,

Manoj Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायतीराज अनुभाग-3
संख्या : 212/33-3-2021-212/2021
लखनऊ, दिनांक: 09 फरवरी, 2021
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 और संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947) की धारा 11-क की उपधारा (5) और धारा 12 की उपधारा (5) के खण्ड (क) और खण्ड (ग) के साथ पठित उक्त अधिनियम सन् 1947 की धारा 110 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन)
(ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2021 कही जाएगी।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम **4** का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 4 में-

(क) उपनियम (4) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये द्वितीय परन्तुक के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात :-

स्तम्भ-**1** विद्यमान परन्तुक	स्तम्भ-**2** एतद्वारा प्रतिस्थापित परन्तुक
परन्तु यह और कि यदि जब कभी ग्राम पंचायतों के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के पूर्व राज्य में ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों के क्षेत्रों में परिवर्तन पर या अन्यथा राज्य में ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य परिसीमन हो, तब नियम 3 में यथा उपबन्धित स्थानों की संख्या का विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों में आवंटन, पूर्ववर्ती निर्वाचनों में उनके आवंटन की प्रास्थिति को संज्ञान में लिए बिना नये सिरे से किया जाएगा।	निकाल दिया गया

(ख) उप नियम (6) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये परन्तुक के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परन्तुक रख दिया जाएगा अर्थात् :-

स्तम्भ-**1** विद्यमान परन्तुक	स्तम्भ-**2** एतद्वारा प्रतिस्थापित परन्तुक
परन्तु यदि जब कभी ग्राम पंचायतों के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के पूर्व राज्य में ग्राम पंचायतों के पंचायत क्षेत्रों के क्षेत्रों में परिवर्तन के आधार पर या अन्यथा राज्य में ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य	निकाल दिया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

परिसीमन हो, तब महिलाओं के लिए आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन, पूर्ववर्ती निर्वाचनों में उनके आवंटन की प्रास्थिति को संज्ञान में लिए बिना, नये सिरे से किया जाएगा।	

नियम-**5** का संशोधन

3-(क) उक्त नियमावली में, नियम 5 में, उपनियम-2 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये परन्तुक के स्थान पर, नीचे स्तम्भ-2 में दिया गया परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-**1** विद्यमान परन्तुक	स्तम्भ-**2** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परन्तुक
परन्तु यह और कि यदि जब कभी प्रधानों के पदों के सामान्य निर्वाचन के पूर्व पंचायत क्षेत्रों की जनसंख्या में परिवर्तन के आधार पर या अन्यथा राज्य में ग्राम पंचायतों के पंचायत क्षेत्रों के क्षेत्रों में सामान्य परिवर्तन हो, तब उपनियम (1) के अधीन यथा अवधारित अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए प्रधानों के पदों की संख्या का खण्ड की भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों में आवंटन, पूर्ववर्ती निर्वाचनों में उनके आवंटन की प्रास्थिति को संज्ञान में लिए बिना, नये सिरे से किया जाएगा।	निकाल दिया गया।

(ख) उप नियम (4) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये परन्तुक के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-**1** विद्यमान परन्तुक	स्तम्भ-**2** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परन्तुक
परन्तु यदि जब कभी प्रधानों के पदों के सामान्य निर्वाचन के पूर्व पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन के आधार पर या अन्यथा राज्य में ग्राम पंचायतों के पंचायत क्षेत्रों के क्षेत्रों में सामान्य परिवर्तन हो, तब महिलाओं के लिए आरक्षित प्रधान के पदों की संख्या का आवंटन, पूर्ववर्ती निर्वाचनों में उनके आवंटन की प्रास्थिति को संज्ञान में लिए बिना, नये सिरे से किया जाएगा।	निकाल दिया गया।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।